उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

MA No. 61 of 2012

पं0 रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, द्वारा रजिस्ट्रार, पं0 रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जी0ई0 रोड रायपुर (छ0ग0)

..............................अपीलार्थी।

//विरूद्ध//

1. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन, 18 साउथ एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ0ग0)
2. वसूली अधिकारी, आर0ओ0ई0एस0आई0 कॉर्पोरेशन, 18 साउथ एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ0ग0)

...........................उत्तरवादी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी : श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता।
उत्तरवादी : श्री प्रणव सक्सेना, अधिवक्ता उपस्थित, श्री प्रदीप सक्सेना अधिवक्ता की ओर से।

एकलपीठ : माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

न्यायालय में आदेश

02/12/2024

1. यह प्रस्तुत विविध अपील अंतर्गत धारा 82 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम 1948 कहा जायेगा) में न्यायालय कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम न्यायालय कमांक 02 रायपुर द्वारा प्रकरण कं0 98/2007 में दिनांक 13.04.2012 को पारित निर्णय की वैद्यता और स्थिरता को चुनौती दिया गया है। जिसमें अपीलार्थी/विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम/नवीन

प्रकरण क्र0 142/ 2012/ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत धारा 75 सहपठित धारा 76 के तहत् प्रस्तुत दावा निरस्त किया गया था।

2. दिनांक 31.10.2012 की आदेश पत्रावली के अवलोकन पर सुनवाई हेतु अपील स्वीकार होना पाया गया। यद्यपि विधि का कोई सारवान प्रश्न विरचित नहीं किया गया है, यहां तक कि अपील के मेमोरेण्ड में अपीलार्थी द्वारा विधि के सारवान प्रश्न को इस न्यायालय के विचार हेतु प्रस्तावित भी नहीं किया गया था।

3. अधिनियम 1948 की धारा 82 (2) के प्रावधान अनुसार ''उच्च न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा अपील जो कर्मचारी बीमा संबंधी न्यायालय के निर्णय में विधि का सारवान प्रश्न अंर्तवलित होने पर उठाया जा सकेगा।''

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. जैसा कि विधि का सारवान प्रश्न विरचित नहीं किया गया, इस न्यायालय द्वारा विचार हेतु अपील स्वीकार किया गया।

5. इस अपील के निराकरण हेतु प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी एक विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित है। दिनांक 21.06.2001 को अपीलार्थी के परिसर में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस का उत्तरवादी की ओर से औपचारिक निरीक्षण किया गया और उस दिनांक को निरीक्षण में यह पाया गया कि 11 व्यक्ति नियोजित थे। जिसके पश्चात् अपीलार्थी का प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम 1948 के अंतर्गत होना पाया गया एवं दिनांक 06.09.2001 को कवरेज लेटर जारी किया गया। जिसके पश्चात् निर्धारण राशि तैयार किया गया और दिनांक 12.07.2005 को अपीलार्थी के

लिये 1,29,445 / — रूपये की वसूली राशि अवधि दिनांक 21.06.2001 से दिनांक 30.06.2005 के लिये डिमांड नोटिस जारी किया गया। दिनांक 23.08.2006 को एक अन्य डिमांड नोटिस राशि 38,342 / — रूपये अवधि दिनांक 01.07.2005 से दिनांक 31.07.2006 के लिये वसूली हेतु जारी किया गया। उपरोक्त उल्लेखित राशि जमा नहीं की गई, उत्तरवादी के वसूली अधिकारी के पत्र पर अपीलार्थी / विश्वविद्यालय के बैंक खाते के अंतरण को प्रतिषेधित किया गया एवं पुनः उसकी सक्रियता तब संचालित हुई जब अपीलार्थी / विश्वविद्यालय द्वारा राशि 2,37,848 / — रूपये (रूपये 1,29,445 / — + रूपये 38,342 / — + ब्याज) जमा किया गया। उसके उपरांत अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 1948 की धारा 75 सहपठित धारा 76 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर इस अनुतोष की घोषणा का निवेदन किया गया कि अपीलार्थी पर 1948 का अधिनियम प्रवर्तनीय नहीं है, जिसकी अपीलार्थी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को निरस्त कर राशि 2,37,848 / — रूपये की उत्तरवादी से वापसी एवं 50,000 / — रूपये की क्षतिपूर्ति का अभिवचन दावा में किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत अपने जवाब में अपीलार्थी के इस अभिवचन को अस्वीकार किया गया कि विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री अधिनियम 1948 से अच्छादित नहीं है एवं आगे यह अभिवचन है कि प्रिंटिंग प्रेस कारखाना अधिनियम की धारा 2 (एम) में परिभाषित ''कारखाना'' के अंतर्गत उसी तरह परिभाषित है, जिस तरह 1948 के अधिनियम की धारा 2 (12) परिभाषित है, तद्नुसार अधिनियम प्रवर्तनीय है। अपीलार्थी को वसूली एवं डिमांड नोटिस के पूर्व पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। इसके

अतिरिक्त यह भी अस्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी के पास 1948 के अधिनियम के अंतर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।

7. विद्वान न्यायाधीश द्वारा 1948 के अधिनियम एवं उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तीन विवादित प्रश्नों की विवेचना कर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के पश्चात् अपीलार्थी का दावा निरस्त किया गया।

8. अपीलार्थी/विश्वविद्यालय के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा 1948 के अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में इस बिंदु पर विचार नहीं करने में त्रुटि किया है क अपीलार्थी एक विश्वविद्यालय होने के कारण 1948 के अधिनियम से अच्छादित नहीं है। अभिभाषक द्वारा अधिसूचना, अनुसूची पी–04 सी दिनांक 27 अक्टूबर 2005 पर अपना यह तर्क रखा कि शैक्षणिक संस्थाएं (जिसमें निजी, अनुदानप्राप्त अथवा अर्ध अनुदान प्राप्त, शामिल हैं) वह सभी 1948 के अधिनियम से दिनांक 01.04.2006 से प्रभावित हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध 1948 के अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही दिनांक 21.06.2001 को की गई जांच कार्यवाही पर आधारित है और उस दिनांक को अपीलार्थी पर 1948 का अधिनियम प्रवर्तनीय नहीं था। उनका अगला तर्क यह भी है कि उत्तरवादी द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि उक्त दिनांक को किये गये निरीक्षण में 10 से अधिक व्यक्ति अर्थात 11 व्यक्ति अपीलार्थी के स्थापित प्रिंटिंग प्रेस में नियोजित थे। निरीक्षण दिनांक को नियोजित कर्मचारियों का हस्ताक्षर नहीं लिया गया और इसी आधार पर 1948 के अधिनियम को प्रदर्श पी 01 के अनुसार लागू नहीं होने का तर्क रखा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया। इसी आधार पर दिये गये निष्कर्ष को 1948 के अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत नहीं होने का तर्क रखा गया है।

9. उत्तरवादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के विरोध में तर्क रखा और यह व्यक्त किया कि निरीक्षण दिनांक 21.06.2001 को किया गया था तथा ''कारखाना'' की परिभाषा निरीक्षण दिनांक को प्रवर्तनीय थी, जहां 10 और 10 से अधिक व्यक्ति प्रतिदिन की मजदूरी पर 12 माह के लिये नियोजित थे, तथा उर्जा के प्रयोग से विनिर्माण की प्रक्रिया चलाई जा रही थी जो ''कारखाना'' की परिभाषा से अच्छादित है। प्रिटिंग प्रेस का संचालन एक विनिर्माण प्रक्रिया है जो विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित होने के कारण भी ''कारखाना'' से परिभाषित है। उनके द्वारा यह भी तर्क रखा गया, विश्वविद्यालय में संचालित प्रिटिंग प्रेस के 1948 के अधिनियम से अच्छादित होने का विवादित तथ्य पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस्मानिया युनिवर्सिटी विरूद्ध क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन आंध्रप्रदेश व अन्य (1985) 4 एस0सी0सी0 514 में विचार किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी विभाग के विनिर्माण प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक, जर्नल्स, प्रारूप के मुद्रण एवं अन्य पाठ्य सामग्री के संबंध में ''कारखाना'' के आशय हेतु 1948 के अधिनियम की धारा 2 (12) के अभिव्यक्ति को निर्धारित किया गया है। अभिभाषक का यह भी तर्क है कि 1948 के अधिनियम एवं विशेष प्रावधान पर उत्तरवादी के साक्षी क्रमांक 01 के साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुसंगत नहीं है। अभिभाषक का यह तर्क है कि निरीक्षण दिनांक को नियोजित कर्मचारियों के नियोजन को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्धारित ''प्रारूप'' में नियोजक द्वारा प्रमाणित किया गया। निरीक्षण दिनांक को 11 व्यक्तियों का नियोजन अपीलार्थी के नियोजित कर्मचारी के हस्ताक्षर द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर दस्तावेज प्रदर्श डी–02 के साक्ष्य पर निर्भरता व्यक्त किया गया। अभिभाषक के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया गया कि उक्त दस्तावेज अपीलार्थी के साक्ष्य द्वारा भी विवादित नहीं है।

10. उभयपक्ष के अभिभाषकों को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलबध दस्तावेजों पर विचार किया गया।

11. इस तरह अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा पहला आधार यह लिया गया है कि विश्वविद्यालय होने के कारण अधिनियम की धारा 1948 प्रवर्तनीय नहीं है, यद्यपि यह विवादित नहीं है कि उत्तरवादी के निरीक्षण दिनांक 21.06.2001 को परिसर/विभाग का निरीक्षण किया गया था, जिसमें प्रिटिंग प्रेस का संचालन अपीलार्थी/विश्वविद्यालय के परिसर/परिक्षेत्र में था, साथ ही यह भी विवादित नहीं है कि मुद्रण कार्य ऊर्जा के उपयोग द्वारा किया जा रहा था। निरीक्षण के अनुसार विभाग/प्रिटिंग प्रेस 2001 से चलाया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप 1948 के अधिनियम के असंशोधित प्रावधान की धारा 2 (12) के प्रवर्तनीय होने के संबंध में निम्न सार उद्धरित है–

> ''2 परिभाषा इस अधिनियम में जब तक कि अन्यथा असंगत न हो–''
>
> X X X
>
> X X X
>
> X X X

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) ''कारखाना'' का अर्थ कोई परिसर जिसमें आहता शामिल है–

(अ) जहां 10 और अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा जहां नियोजन मजदूरी पर 12 माह के किसी दिन के लिये हो, एवं विर्निमाण प्रक्रिया के किसी भाग में ऊर्जा का समावेश हो अथवा सामान्यतः किया जा रहा हो, अथवा

(ब) जहां 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों का नियोजन हो अथवा नियोजन 12 माह के किसी दिन के लिये हो, एवं विनिर्माण प्रक्रिया के किसी भाग में बगैर ऊर्जा के अथवा समान्यतः किया जा रहा हो, किंतु उसमें खनिज अधिनियम 1952 (35/1952) अथवा रेलवे संचालित शामिल नहीं हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. ''कारखाना'' की परिभाषा दिनांक 01.06.2010 द्वारा संशोधित की गई, जिसमें उपर उल्लेखित परिभाषा द्वारा यह प्रकट है कि जहां 10 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा 12 माह के लिये किसी दिन की मजदूरी के लिये नियोजन हो, एवं विनिर्माण की प्रक्रिया के किसी भाग में उर्जा का प्रयोग अथवा समान्यतः किया जा रहा हो, जो ''कारखाना'' की परिभाषा से अच्छादित है।

13. साक्ष्य के दौरान उत्तरवादी साक्षी– 01 प्रदर्श डी–01 सी, जो दिनांक 21.06.2001 का निरीक्षण प्रतिवेदन है। प्रदर्श डी– 02 सी बीमा निरीक्षक को 1948 के अधिनियम की धारा 44 (2) एवं धारा 45 (2) के तहत् कर्मचारियों द्वारा प्रदान किया गया सूचना है, जिसके आधार पर निरीक्षण किया

गया, जिस दिनांक को विभाग प्रारंभ किया गया, कार्य की प्रकृति एवं नियोजित कर्मचारियों की निरीक्षण दिनांक को संख्या पर आधारित था। यह प्रभारी विश्वविद्यालय मुद्रण प्रयोगशाला एवं प्रिंटिंग प्रेस के हस्ताक्षर एवं मुहर द्वारा जारी किया गया था। उक्त सूचना अपीलार्थी/विश्वविद्यालय के नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं सील से होने के कारण जब तक कि उसका निष्पादन किसी स्पष्ट साक्ष्य से विवादित प्रकट न हो वह साक्ष्य के तहत् स्वीकार योग्य थी। वह साक्ष्य में उसी तरह पढ़ा जायेगा। दस्तावेज प्रदर्श डी–02 सी से यह स्पष्ट है कि विभाग का नाम विश्वविद्यालय मुद्रण प्रयोगशाला एवं प्रिटिंग प्रेस तथा कार्य की प्रकृति मुद्रण एवं प्रकाशन तथा कर्मचारियों की संख्या 11 उल्लेखित किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अपीलार्थी/विश्वविद्यालय के विद्वान अभिभाषक का तर्क कि निरीक्षण दिनांक 21.06.2001 को 11 व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं है एवं निरीक्षण दिनांक को नियोजित कर्मचारियों के हस्ताक्षर का कोई साक्ष्य नहीं होने का तर्क, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी–02 सी के आलोक में स्वीकार योग्य नहीं है, जिसमें अपीलार्थी के कर्मचारी का हस्ताक्षर है तथा उक्त दस्तावेज स्वयं अपीलार्थी के साक्ष्य में अस्वीकृत एवं विवादित नहीं है। फलस्वरूप विद्वान न्यायाधीश द्वारा 1948 के अधिनियम के अनुसार निरीक्षण दिनांक को 11 कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिये गये निष्कर्ष को अनुचित नहीं कहा जा सकता।

15. विश्वविद्यालय में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस के विवादित बिन्दू के परिप्रेक्ष्य में 1948 के अधिनियम की धारा 2 (12) के परिक्षेत्र के संबंध में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा प्रकरण उस्मानिया युनिवर्सिटी (सुप्रा) में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

''2 कारखाना अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (के) में विनिर्माण प्रक्रिया को अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में उपधारा (आई) की परिभाषा का प्रावधान संदर्भित है, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया से तात्पर्य ऐसी किसी प्रक्रिया जिसमें ''निर्माण, संशोधन, मरम्मत, साज–सज्जा, पैकिंग, तेललेपन, धुलाई, सफाई, जोड़–तोड़ अथवा अन्य ऐसी कोई प्रक्रिया जिससे किसी वस्तु या उसके किसी भाग का प्रयोग, विक्रय, परिवहन, वितरण अथवा निपटारा शामिल है।''

''3 संबंधित अपील– सी0ए0 नंबर 204/1973 भी समान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारे समक्ष विश्वविद्यालय के संचालित प्रकाशन एवं मुद्रण विभाग के कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 सहित अन्य योजनाओं एवं अधिसूचनाओं के अंतर्गत उत्तरदायित्व का तथ्य विचारणीय है। उक्त अपील में हमारा निर्णय विभाग के ''विनिर्माण प्रक्रिया'' में पाठ्य पुस्तक, जर्नलस, प्रारूप एवं अन्य पाठ्य सामग्री के प्रकाशन पर विचार किया गया था। ''विनिर्माण की प्रक्रिया'' की परिभाषा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 2 (आई–सी) के तहत् कारखाना अधिनियम की धारा 2 (के) (आई) को अंतर्विष्ट करती है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 सी0ए0 नंबर 204/1973 के उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आलोक में यह निर्धारित है कि कारखाना के आशय में विभाग का प्रश्न अधिनियम की धारा 2 (12) की परिभाषा से अभिव्यक्त है। फलस्वरूप अपील के अंतर्गत दिया गया निर्णय हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया जाता है।''

16. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस्मानिया युनिवर्सिटी (सुप्रा) में दिये गये निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में 1948 का अधिनियम प्रवर्तनीय नहीं होने के संबंध में रखा गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। तद्नुसार यह तर्क निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त विवेचना के आधार पर सारवांतः अपील हस्तक्षेप योग्य नही पाया जाता है। विधि का सारवान प्रश्न अंर्तवलित नहीं है, तद्नुसार प्रस्तुत अपील स्वीकृति के स्तर पर निरस्त किया जाता है।

Sd/-
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**